न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 176/13 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री भेरूलाल पिता प्यारा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. श्री रूपा पिता प्यारा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
3. काली पुत्री प्यारा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
4. अन्दर पिता प्यारा कालबेलिया ना.बा. माता लक्ष्मी पत्नी प्यारा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
5. श्री गोविन्द पिता प्यारा कालबेलिया ना.बा. माता लक्ष्मी पत्नी प्यारा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्यारा पिता गोदा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. श्री शांतिलाल पिता भगा मेघवाल निवासी पालवासकलां तह. मावली।
3. श्री लहरीलाल पिता भगा मेघवाल निवासी पालवासकलां तह. मावली।
4. श्री रूपलाल पिता ठाकरू मेघवाल निवासी पालवासकलां तह. मावली।
5. श्री दुदा पिता गोदा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
6. श्री नंगा पिता गोदा कालबेलिया निवासी पालवासकलां तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.01.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 117/3 रकबा 5 बीघा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 2 से 4 के नाम पर अंकित हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र साथ संलग्न हैं।
2. यह कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1, 5, 6 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

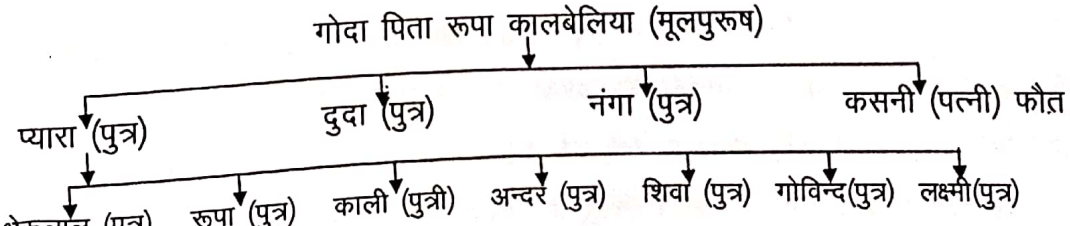

Scanned with CamScanner

उक्त सजरे अनुसार गोदा जी हमारे मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र प्यारा, दुदा, नंगा हुवे। तीनो पुत्र प्यारा, दुदा, नंगा जीवित हैं। प्यारा जी विपक्षी सं. 1 के पांच पुत्र भेरूलाल प्रार्थी सं. 1, रूपा प्रार्थी सं. 2, अन्दर प्रार्थी सं. 4, शिवा प्रार्थी सं. 5, गोविन्द प्रार्थी सं. 6 एवं एक पुत्री काली प्रार्थी सं. 3 है एवं लक्ष्मी प्याराजी की विवाहिता पत्नी हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है ओर जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और उक्त भूमियों में अपने हक हिस्सा की भूमियों में हम प्रार्थीगण काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है जो सम्वत् 2062–64 की राजस्व जमाबन्दीयों में हमारे मौरूस गोदा पिता रूपा कालबेलिया के नाम पर दर्ज थी तथा गोदाजी के निधनोपरान्त उक्त कृषि भूमियों विरासत से पुत्र प्यारा, दुदा, नंगा एवं कसनी (पत्नी) के नाम समान हिस्से सें अंकित हुई और कसनी के स्वर्गवास पश्चात् उसके हिस्से की जमीन भी विरासत से पुनः प्यारा, दुदा, नंगा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई हैं।

5. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के मौरूस गोदा जी के निधनोपरान्त विपक्षी सं. 1, 5, 6 के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् विपक्षी सं. 1, 5, 6 ने परिवार में किसी प्रकार से रूपयों की जरूरत नहीं होने के उपरान्त भी उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को पूर्व खातेदारान को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये बेच दी और पूर्व खातेदारान ने राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर उक्त भूमि को नुमाईशी विक्रय के आधार से अपने नाम पर दर्ज करा पुनः उक्त सम्पूर्ण भूमि को विपक्षी सं. 2 से 4 को नुमाईशी विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दी और विपक्षी सं. 2 से 4 ने राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर उक्त भूमि को नुमाईशी विक्रय के आधार से जरिये नामान्तरकरण सं. 337 दिनांक 20.07.2013 के द्वारा अपने नाम पर दर्ज करा दी जो निरन्तर चली आ रही है। जबकि मौके पर हम प्रार्थीगण हमारे हक व हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है और विपक्षी सं. 1 जो हम प्रार्थीगण के पिता है उनको अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही था इसलिए विपक्षी सं. 1 द्वारा किया गया हस्तान्तरण हमारे मुकाबले स्वतः शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हैं जिसका हम प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध रूप से अपने हक व हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे पिता विपक्षी सं. 1 द्वारा हमे हमारी पैतृक कृषि भूमि से वंचित करने की नियत उनके नाम दर्ज हिस्से को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये पूर्व खातेदारान को बेच देने से व पूर्व खातेदार द्वारा विपक्षी सं. 2 से 4 को पुनः बेच देने से उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 2 से 4 के नाम पर दर्ज है और विपक्षी सं. 2 से 4 अपना नाम खाते में दर्ज होने से

Akshay

Scanned with CamScanner

हम प्रार्थीगण को हमारी हिस्से कब्जे की पैतृक कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है जबकि विपक्षी सं. 2 से 4 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी सं. 1 को उक्त भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार था। विपक्षी सं. 1 द्वारा इस भूमि मुतलिक किया गया हस्तान्तरण हम प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शुन्य निष्प्रभावी हैं। विपक्षी सं. 2 से 4 ने वाद वर्णित आराजीयात पर नुमाईशी विक्रय पत्र में वर्णित अनुसार कब्जा भी प्राप्त नहीं हुआ हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज भूमि में हम प्रार्थीगण हमारे हिस्सेनुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है तथा हमारे हिस्से की भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा कराया जाकर हमारे नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसलिए आप न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

7. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। वादगत कृषि भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गये है और इस भूमि में हम प्रार्थीगण अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त कर रहे है लेकिन उक्त भूमि में विपक्षी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को पूर्व में नुमाईशी दस्तावेज के जरिये पूर्व खातेदारान को विक्रय कर देने से तथा पूर्व खातेदारान द्वारा विपक्षी सं. 2 से 4 को पुनः विक्रय कर देने से वर्तमान में भूमि विपक्षी सं. 2 से 4 के नाम पर अंकित है जिससे विपक्षी सं. 2 से 4 अब हमको हमारे हिस्से कब्जे की पैतृक कृषि भूमि में अनाधिकार रूप से बेदखल कर कब्जा करना चाह रहा है और विपक्षी सं. 2 से 4 ने दिनांक 15.08.2013 को मौके पर आकर हम प्रार्थीगण को धमकी भी दी है कि वे हमारे कब्जे की जमीन पर कब्जा कर हमें बेदखल कर देगें तथा अन्य विपक्षी सं. 1, 5, 6 भी हमें हमारे कब्जे की भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी सं. 1 से 6 हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

8. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.08.2013 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण सं. 1 से 6 ने हमारे कब्जे की भूमि से हमें बेदखल कर

Scanned with CamScanner

अनाधिकार से कब्जा करने की कोशिश की और समझाने पर भी नहीं माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 से 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की पैतृक कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी सं. 6 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी सं. 9 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी सं. 7, 8 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

10. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिया जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

11. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि को क्रय किया हैं। विपक्षीगण खातेदार है। इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी

Akshay

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होकर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को पैतृक सम्पति होने का कथन करते हुए प्रार्थीगणों के पिता विपक्षी सं. 1 द्वारा भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पूर्व खातेदारों को विक्रय कर दी है एवं पूर्व खातेदार द्वारा विपक्षी सं. 2 से 4 को विक्रय कर दी हैं। चूंकि प्रार्थीगणों के पैतृक सम्पति में हक हिस्से की घोषणा का बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होगा, घोषणा सम्बन्धी बिन्दु अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में तय नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय करने से विपक्षीगण सद्भावी क्रेता हैं। इसलिए खातेदार विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने से खातेदार विपक्षीगण को भारी क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Scanned with CamScanner